न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ

पीठासीन अधिकारी-गितेश श्री मालवीय (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- डिक्री 43 सन् 2016

पंजीयन दिनांक :- 03.02.2016

1. हेमा पिता हजारी रेगर निवासी रोलाहेड़ा तहसील व जिला चितौड़गढ

-अपीलांट

विरूद्ध

1. हीरा पिता नाथु रेगर निवासी रोलाहेड़ा तहसील व जिला चितौड़गढ
2. शंकर पिता नाथु रेगर निवासी रोलाहेड़ा तहसील व जिला चितौड़गढ
3. चांदु पिता नारायण रेगर निवासी रोलाहेड़ा तहसील व जिला चितौड़गढ
4. भूमिधारी जरिये तहसीलदार चितौड़गढ

-रेस्पोडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चितौड़गढ
प्रकरण संख्या 254/2013 वाद निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.06.2015

वक्त बहस उपस्थित-1. अभिषेक गर्ग - अधिवक्ता अपीलान्ट
2. संजय मौड़ - अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 3 बावजूद सूचना अनुपस्थित
3. पूरणमल स्वर्णकार- राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 4 बावजूद सूचना अनुपस्थित

निर्णय

दिनांक :- 28.06.2023

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ विचारण न्यायालय में अपीलांट वादी ने रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादपत्र धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम दौलतपुरा में खसरा संख्या 567,568,571 व 794/570 कुल किता 4 रकबा 1.13 हैक्टेयर कृषि आराजीयात अवस्थित है। उपर्युक्त आराजीयात पर अपीलांट वादी शांतिपूर्वक काश्त करता चला आ रहा है। रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादी संख्या 1 से 3 उक्त आराजीयात पर कब्जा करने पर आमादा है। अपनी कृषि आराजीयात कम होने का अंदेशा होने से अपीलांट वादी ने दिनांक 07.06.2008 को मौके पर सीमांकन करवाया तो रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादी सं. 1 व 2 के द्वारा खसरा नम्बर 571 रकबा 0.12 हैक्टेयर पर तथा रेस्पोडेन्ट सं. 3 प्रतिवादी सं. 3 द्वारा खसरा सं. 794/570 रकबा 0.05 हैक्टेयर पर कब्जा किया जाना पाया गया। उक्त दोनो आराजीयात से रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण का कब्जा हटवाया जाकर अपीलांट वादी को कब्जा प्रदान करवाया जावें।

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट वादी की ओर से प्रस्तुत वाद वादी प्रमाणित होना मानते हुये दिनांक 25.11.2009 को कब्जेयाबी के निर्णय व डिक्री पारित किये गये जिससे असंतुष्ट होकर रेस्पोडेन्ट्स प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत किये जाने पर अपील सं. 223/2012 दर्ज की जाकर दिनांक 08.08.2013 को निर्णय पारित करते हुये प्रकरण वास्ते सुनवाई अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया। दिनांक 26.06.2015 को अपीलांट वादी का वादपत्र प्रमाणित नही होना मानते हुए अस्वीकार किया गया जिससे असंतुष्ट होकर अपीलान्ट वादी ने इस न्यायालय मे प्रथम अपील म्याद बाहर प्रस्तुत की।

अपीलान्ट वादी की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण के सम्मन नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 3 जरिये अधिवक्ता उपस्थित। रेस्पोडेन्ट सं. 4 की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर शामिल पत्रावली की गई। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 को दिनांक 27.06.2022 से कई अवसर एवं अन्तिम अवसर दिये जाने के बावजूद तथा दिनांक 08.06.2023 को न्यायहित में एक अन्तिम अवसर और दिये जाने पर भी दिनांक 16.06.2023 को बहस हेतु अनुपस्थित रहे है तथा उनकी ओर से कोई बहस प्रस्तुत नही की गई। अधिवक्ता अपीलांट के निवेदन पर बहस एकतरफा सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट वादी ने अपील अन्दर मियाद मानते हुये अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षम्य करने हेतु प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून म्याद अधिनियम मय शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जो विश्वास करने योग्य पाये जाने से प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर प्रस्तुत अपील में हुई देरी को कण्डोन करते हुए अपील अन्दर म्याद मानी जाकर श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अधिवक्ता अपीलांट वादी ने अपनी बहस मे अपील मेमो मे वर्णित तथ्यो को पुनः दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलांट वादी ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे वादपत्र बाबत कब्जेयाबी प्रस्तुत किया जिसे दिनांक 25.11.2009 को प्रमाणित मानते हुए निर्णय व डिक्री जारी किये गये। उक्त निर्णय व डिक्री की अपील रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 प्रतिवादीगण द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने पर अपील सं. 223/2012 दर्ज की जाकर दिनांक 08.08.2013 को पारित निर्णय से प्रकरण वास्ते सुनवाई अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा ऐसा कोई प्रमाणित दस्तावेजी या मौखिक साक्ष्य सबूत प्रस्तुत नही किया गया जिससे अपीलांट वादी का वादपत्र अस्वीकार किया जा सके। इस पर भी अधीनस्थ न्यायालय ने कोई नवीन सारभूत तथ्य प्रस्तुत नही होने पर भी पत्रावली लोक अदालत में निर्णित करते हुए दिनांक 26.06.2015 को अपीलार्थी

राजस्व अपील प्राधिकारी

वादी के वादपत्र को निरस्त कर दिया। उक्त लोक अदालत की कोई सूचना अपीलांट वादी को नही दी गई और न ही कोई राजीनामा प्रस्तुत हुआ। बिना सुनवाई का अवसर दिये पारित निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य है।

हमने अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 08.08.2013 से पत्रावली उभयपक्ष के साक्ष्य व सुनवाई पश्चात विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित की गई। आदेशिका अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 05.09.2013 को प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर किया गया। दिनांक 28.04.2015 तक उक्त प्रकरण में केवल तारीख पेशियां ही बदली गई, कोई कार्यवाही नही की गई। आगामी दिनांक 01.07.2015 नियत की गई इससे पूर्व पत्रावली दिनांक 26.06.2015 को लोक अदालत केम्प कोर्ट रोलाहेड़ा में नियत की जाकर बिना सूचना दिये, बिना सुनवाई का अवसर दिये, बिना किसी लिखित राजीनामा के निर्णय व डिक्री पारित किये गये जो लोक अदालत की भावना तथा नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत होकर विधिसम्मत नही है। उक्त विवेचनानुसार अपील स्वीकार योग्य पाई जाती है। पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलस्वरूप अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चितौड़गढ द्वारा प्रकरण संख्या 254/2013 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26.06.2015 को निरस्त किया जाता है। प्रकरण इन निर्देशों के साथ अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए विधिसम्मत नवनिर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 28.06.2023 को खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चितौड़गढ को पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही अविलम्ब लौटाई जावें।

राजस्व अपील प्राधिकारी चितौड़गढ़ (राज.)

28/6/2023.

(गितेश श्री मालवीय)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ (राज0)